



1

# न्यायालय रेवेन्यु बोर्ड मध्यप्रदेश ग्वालियर

R 539-113

प्रकरण क्रमांक .....

प्रभुबाई पिता मोहनलाल

आयु-50 वर्ष, जाति- भील

क्रमांक 373 निवासी-सगवाली तहसील दलौदा जिला मन्दसौर (म.प्र.)  
रजिस्टर्ड पोस्ट द्वारा आज दिनांक 31-1-13 को प्राप्त

.....प्रार्थी / निगरानीकर्ता

-: विरुद्ध :-

राजस्व सचिव म.प्र. ग्वालियर  
मध्यप्रदेश शासन

.....विपक्षी

निगरानी अंतर्गत धारा 50 मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता 1959 विरुद्ध  
आदेश दिनांक 20.06.2003 न्यायालय नायब तहसीलदार मन्दसौर प्रकरण  
क्रमांक 107/अ-19 /2000-2001 से व्यथित होकर प्रस्तुत है।

*[Handwritten Signature]*

R.M.  
sent by

R. 534-I/13 मंदा

24.6.2016

आवेदक की ओर से श्री नरेश  
वास आमेमिषक उवाचित। आप  
आयुक्त का निष्कर्ष प्रथम दृष्टया  
विधि संगत है कि सोही में दिनांक  
30.12.11 को दिये लेशोचय के फलस्वरूप  
उई निगानी सुत्रों का आधीना-नती  
है। उन्न निष्कर्ष के परिप्रेक्ष्य में आप  
आयुक्त द्वारा प्रमाण समाप्त करने में  
विधि संगत कार्यवाही की गई है। फलस्वरूप  
निगानी अग्रहण की जाती है।

अध्यक्ष